LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY , UTTAR

VIPIN KHAND,GOMTINAGAR ,LUCKNOW

PERMIT TO BULD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY AREA-LUCKNOW

PRINT DATE : 24/12/2018

APPLICATION 52527

WARD: ....

PERMIT NO: **42987**

SITE OF GROUP HOUSING

SECTOR : ....

FILE NO : 203/EE/M.CELL/2017

SCHEME : NonScheme-MapApproval

PROPERTY NAZOOL P.NO. 9, PART OF KH.NO. 611, 613 & 614, A P SEN ROAD

NAME: PROTOSTAR INFRAESTATES PVT LTD

Address: LGF- 3/460, VISHWAK KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW

Sanction vide order dated **26/09/2017** of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of **25/09/2022** **or expiry date of Lease deed whichever is earlier**

Restriction If Required: मानचित्र की शीट सं०-2/11 के एवं परमिट के पृष्ठ भाग पर चस्पा समस्त प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य है।

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P

: प्रतिबंध :

- स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू–स्वामित्व सम्बंधी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू–स्वामित्व सम्बंधी कोई वाद–विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- स्थल पर निर्माण के समय स्वीकृति सम्बंधी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप का एक बोर्ड लगाना होगा।
- भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेबर एक्ट तथा नेशनल सेफ्टी काउंसिल के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- पार्किंग हेतु आरक्षित क्षेत्र पर किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- स्ट्रक्चरल डिजाइन व स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। प्रस्तुत स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिजाइन के अनुसार निर्माण की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
- शासनादेश के अनुसार स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
- निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- समूह आवास मानचित्र स्थल पर शासनादेशानुसार वृक्ष एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।
- मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।
- भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है, तो पक्ष द्वारा देय होगी।
- अग्निशमन विभाग की अनापत्ति आख्या पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं की कनेक्टिीविटी सम्बंधित विभागों से अपने व्यय पर लेनी होगी।
- भवन परिसर में अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन उपविधि में अपेक्षित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।
- वाह्य विकास एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 जमा होने तक कराये गये रजिस्टर्ड बंधक पत्र एवं मानचित्र में दर्शित सातवें तल के पांच फ्लैटों का विक्रय नही किया जायेगा।
- बेसमेण्ट का निर्माण आरम्भ करने से पूर्व खनन विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है।
- अपार्टमेन्ट एक्ट, रेरा तथा विभिन्न समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- शासनादेश सं0–410/8–3–16–18विविध/2016 दिनांक 22.03.2016 के क्रम में जमा कराया गया है। अवशेष लेबर सेस की धनराशि को शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित प्राविधान तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के क्रम में श्रम विभाग को जमा कराकर उक्त की सत्यापित रसीदें प्राधिकरण में जमा करना अनिवार्य है।
- स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं को मानकों के अनुसार विकसित करना तथा उनकी स्थानीय निकायों की सेवाओं से संयोजित करने का उत्तरदायित्व भूस्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।
- स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जाये।
- भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो एवं अगल–बगल की सत्पत्ति को कोई क्षति न पहुंचने पायें, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।